



न्यायालय, सिविल जज (सी०डि०), कक्ष संख्या-18, देवरिया।

मूल वाद संख्या-437/2024

शिल्पी बनाम मुन्नका देवी उर्फ मुनक्का

10.02.2026

पत्रावली पेश पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी विगत कई तिथियों से अपने दावे पर बल देते हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है। पूर्व में भी वादी को उपस्थिति हेतु कई अवसर एवं अंतिम अवसर दिये जा चुके हैं। आज भी वादी द्वारा न तो उपस्थित होकर अपने दावे पर बल दिया गया और न ही कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद को संचालन हेतु कोई रुचि नहीं रखता है। अतः प्रस्तुत वाद चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्या० सिविल जज (सी०डि०)
कक्ष सं०-18 देवरिया।